प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 34 / 25

न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

जीसीएमएस संख्या 2025 / 102

बउनवानी :–1. जमना लाल पुत्र गिर्राज माली निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर सन् 2025

2. ओमप्रकाश पुत्र गिर्राज माली निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
3. रामदयाल पुत्र गिर्राज माली निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
4. सोनी पत्नि रामदयाल माली निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. सत्तार पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
3. रफीक पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
4. गफ्फार पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
5. नन्ना पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
6. नसरूद्दीन पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
7. जाकिर पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
8. सईद पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
9. वहीद पुत्र मुनीर शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
10. इमरान पुत्र हमीद शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
11. गडडू पुत्र हमीद शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
12. सारूख पुत्र हमीद शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
13. तायर पुत्र हमीद शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
14. सोयल पुत्र हमीद शाह जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
15. शमीम पत्नि कदीर जाति फकीर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
16. सरपंच ग्राम पंचायत खिलचीपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
17. लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर मे जैरकार अपील संख्या 17 / 2023 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट उनवानी सत्तार बनाम जमनालाल अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री रविशंकर सैनी — वकील प्रार्थी

2. श्री अजीजुद्दीन — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 30.4.2025

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में विचाराधीन अपील संख्या 17 / 2023 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट उनवानी सत्तार बनाम जमनालाल के विरूद्व अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने एक अपील उनवानी सत्तार बनाम जमनालाल वगै. अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे पेश कर रखी है जिसमे अधीनस्थ न्यायालय आऐ दिन बिना किसी कारण के हर सप्ताह की तारीख पेशी नियत कर रहे है तथा अन्य प्रकरणों मे नोटिस बोर्ड पर रूटिन में लम्बी तारीख पेशी दी जा रही है तथा अप्रार्थीगण प्रत्येक तारीख पेशी पर आकर पीठासीन अधिकारी से जाकर चेम्बर मे मिलते है तथा सरे आम कहते है कि हमारी एस.डी.ओ कोर्ट के अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:10 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जी से बात हो गई है इसलिए हमारी अपील का फैसला हमारे पक्ष मे जल्दी ही हो जावेगा। इसलिए प्रार्थीगण को आशंका है कि अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से मिल हुए होने के कारण उक्त अपील मे उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है। अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार उक्त अपील संख्या 17/2023 को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवायी हेतु स्थानान्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गयां

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एक अपील उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे पेश की गयी जो वर्तमान मे बहस हेतु नियत है उक्त अपील मे वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश कर दी गयी किन्तु वकील प्रार्थी लिखित बहस की प्रति प्राप्त करने से मना कर दिया ओर बहस भी नही करना चाहता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार उक्त अपील के निर्णय मे देरी करने की गरज से निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है यदि फिर भी श्रीमान चाहे तो उक्त प्रकरण को किसी भी सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल कर सकते है।

उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भी अपनी टिप्पणी मे अंकित किया प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार एवं झूंठे है। यह भी अंकित किया कि उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर मे सत्तार वगै. द्वारा एक अपील प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 1.8.2023 को दर्ज नोटिस जारी किये कर सुनवायी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.10.2023 नियत की गयी। सम्पूर्ण रेस्पो की तलवी नही होने के कारण प्रकरण में सम्मन जारी किये गये जाने पर दिनांक 11.2.2023 को श्री रविशंकर सैनी एड. द्वारा रेस्पो0 की ओर से वकालातनामा पेश किये जाने पर प्रकरण में बहस हेतु दिनांक 14.2.2025 तारीख पेशी नियत की गयी है। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.2.2025 को लिखित बहस पेश की गयी। न्यायालय द्वारा प्रकरण मे पुनः बहस हेतु दिनांक 17.2.2025 नियत की गयी इसके बाद दिनांक 20.2.2025 को सुनवायी के दौरान लिखित बहस वकील रेस्पो0 को दी गयी किन्तु वकील रेस्पो. द्वारा लिखित बहस की प्रति लेने से इंकार कर दिया। न्यायहित में सुनवायी हेतु न्यायालय द्वारा रेस्पो. को बहस हेतु एक बार ओर अंतिम अवसर दिया गया। उक्त प्रकरण मे वकील रेस्पो0 द्वारा बार–बार बहस नही करने के कारण पास की तारीख पेशी दी गयी है। बहस से बचने के लिए वकील रेस्पो0 द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज योग्य है। यदि फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायाल की अपील में वकील रेस्पो0 द्वारा दिनांक 11.2.2025 को वकालातनामा पेश किया है ओर उसके बाद लगातार 14.2.2025, 17.2.2025, 19.2.2025 एवं 20.2.2025 अर्थात एक से तीन दिवस की तारीख पेशी नियत की जा रही है। इस प्रकार वकील रेस्पो. को वकालातनामा पेश करने के बाद 9 दिवस का समय बहस हेतु दिया गया है। यद्यपि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील वर्ष,2023 से अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन जिसका निस्तारण किया जाना भी आवश्यक है,किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वकील रेस्पो. को बहस हेतु पर्याप्त समय नही दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील को किसी भी न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत स्वंय वकील अप्रार्थी द्वारा भी अपनी सहमति प्रदान की है। अतः उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित अपील को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे विचाराधीन अपील संख्या 17/2023 उनवानी सत्तार बनाम जमनालाल को सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे मुन्तकिल की जाती है। पक्षकार दिनांक 30.5.2025 को उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.4.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:11:10 IST
Reason: SelfAttested